राजस्थान सरकार

नगर नियोजन विभाग

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.20.2010 / 3713-28 दिनांक:- 29 JUL 2020

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2015-16 द्वारा नगर नियोजन विभाग के नगर नियोजन सहायक पद हेतु चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को; राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 के प्रावधानान्तर्गत; विभाग में नगर नियोजन सहायक के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 26,500/- प्रतिमाह एवम् परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-11 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में एतद्द्वारा पदस्थापन किया जाता है :-

क्र. सं.	मेरिट संख्या	रोल नं.	नाम	पिता का नाम	प्रवर्ग	जन्म तिथि	फोटो	पदस्थापन स्थान
1.	01	101053	श्री इन्द्र गोठवाल	श्री सूरजमल गोठवाल	अनारक्षित	07.08.1991		जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
2.	02	101107	सुश्री पूनम शर्मा	श्री श्याम लाल शर्मा	अनारक्षित	25.09.1992		कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर (सहायक नगर नियोजक के पद विरुद्ध)
3.	03	101140	श्री विवेक यादव	श्री वीरेश्वर सिंह यादव	अनारक्षित	22.02.1982		नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर (प्रतिनियुक्ति पर)

1. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान नगर नियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1974 के प्रावधानों तथा कार्मिक/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/ दिशा-निर्देशों के अधीन रहेगी।
2. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
3. परिवीक्षा अवधि (Probation Period) 2 वर्ष की होगी एवं इस अवधि में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण नगर नियोजन सहायक के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-11 में किया जायेगा, एवम् उस पर अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004

EPBX No. 2560838, 2560963

Fax No. 0141-2563702, 2560985

Office e-mail : ctp-rj@nic.in

Website : www.ctp.rajasthan.gov.in

6. इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उनके मेरिट क्रम के अनुसार रहेगी।

7. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

8. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

9. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

10. उपरोक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी; परिवीक्षा अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवम् राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

11. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि, उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी।

12. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर में नगर नियोजन सहायक का पद सृजित नही होने की स्थिति में श्री विवेक यादव के वेतन का भुगतान नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर में स्वीकृत उप नगर नियोजक के पद के विरूद्व किया जायेगा।

01/07/2020

(आर.के. विजयवर्गीय)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9118.20.2010/3713-28 दिनांकः– JUL 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर रोड़, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.7(03)भर्ती/गोपनीय/2012–13/1 दिनांक 20.05.2020 के क्रम में।
2. शासन संयुक्त सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, जेडएसपी, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर।
7. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
9. सम्बन्धित श्री/सुश्री
10. निजी पत्रावली संधारण लिपिक।
11. रक्षित पत्रावली।

01/07/20

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर–302004
EPBX No. 2560838, 2560963 Office e-mail : ctp-rj@nic.in
Fax No. 0141-2563702, 2560985 Website : www.ctp.rajasthan.gov.in